

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०१८

संख्या-३६-III

2. वर्तमान धारित पद

बी.पी.डी.सी.

अधिकारी/कर्मचारी का (पूर) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

०२६५६६-

अगली वेतनवृद्धि की तारीख

3. वर्तमान वेतन

उस जिले, उप संभाग, तहसील तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा खीरे		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि						
१५-सोनी बासपागाँव २६५५-६३८ १५०१-२५०० ५२-६०७६५ १५०११०१५-१०६५ १८-६३८ सिविलियन	-	६५५५५५ ५८१००००५ ५८६५५५५५	६५५५५५ ५८१००००५ ५८६५५५५५	₹-1,59,000/- ₹-4,10,000/-	- -	१६/१८ १५/१८ १५/१८ १५/२०१५	- -	- -

* जहाँ लागू न हो कार दी जाए।

** ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य अंदाजित जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के खीरे दें।

शाकेसुभो-1712-अससाप्रवि-24-1-05-10,000.

हस्ताक्षर

बी.पी.डी.सी.

नाम

पद

स्थान

बी.पी.डी.सी.

बी.पी.डी.सी.